# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

**वाद सं0–101/22** **धारा–144 दं0प्र0सं0**

**रविन्द्र यादव –बनाम– तापेश्वर पासवान वगै0**

| तारिख | –: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :– | अभियुक्ति |
|---|---|---|

प्रस्तुत वाद कि कार्रवाई आवेदिका के आवेदन एवं इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के आधार पर मौजा–अमझर,थाना–चौपारण,जिला–हजारीबाग अर्न्तगत खाता संख्या 41 प्लॉट संख्या 04 रकवा 1.56 डी0 मधे 0.10 डी0 भूमि जिसकी चौहदी उ0–नीज, द0–नीज, पू0–प्लॉट नं0 58, प0–रास्ता, वाली भूमि पर धारा 144 द0प्र0स0 के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस कर अपना–अपना कारण पृच्छा एवं संबंधित भूमि का कागजात दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रथम पक्ष का कहना है कि मौजा–अमझर, थाना–चौपारण, जिला–हजारीबाग अर्न्तगत खाता संख्या 41 प्लॉट संख्या 04 रकवा 1.56 डी0 मधे 0.10 डी0 भूमि जिसकी चौहदी उ0–नीज, द0–नीज, पू0–प्लॉट नं0 58, प0–रास्ता, वाली भूमि पूर्व जमींदार नाथो महतो पिता सोधन महतो ने खाता सं0 41 प्लॉट सं 4 रकवा 1.56 एकड भूमि हुकमनामा से दिया गया है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात नाथो महतो के नाम से रजिस्टर 2 में नाम दर्ज होकर जमीनदारी एवं सरकारी रसीद निंगत है। जिस पर प्रथम पक्ष के पिता खेती बारी करते रहे है व प्रश्नगत भूमि पर मकान है एवं विवादित भूमि गैर मजुरूआ खास खाते की भूमि बताते है। द्वितिय पक्ष प्रश्नगत भूमि का जाली कागजातों के आधार पर उनके दखल कब्जा वाली भूमि को हडपना चाहते है। प्रथम पक्ष के द्वारा वाद की कार्रवाई अपने पक्ष में करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि मौजा–अमझर प्रश्नगत भूमि अर्न्तगत खाता संख्या 41 प्लॉट संख्या 04 रकवा 0.40 एकड भूमि द्वितिय पक्ष के परदादा नान्दो दुसाध को राजा रामगढ द्वारा सन 1935 ई0 में हुकुमनामा द्वारा हासिल है।हुकुमनामा तिथि से शांतिपुर्वक दखलकार चले आ रहे थ। नान्दो दुसाध के मृत्यु के पश्चात उनके वंशज शांतिपूर्वक दखलकार है। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष से जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा था मगर देने से इंकार करने गए क्योंकि यह भूमि देवस्थल है सार्वजनिक पूजा स्थल को बेचने से इनकार करने के कारण इस भूमि पर आवेदक द्वारा जान बुझकर देवस्थल (बारह पुजा) के स्थान पर वाद को लाया गया ताकि प्रथम पक्ष मुकदमा करके डरा धमका के हडपना चहता है। द्वितिया पक्ष के द्वारा वाद की कार्रवाई अपने पक्ष में करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, उभय पक्षों के कारणपृच्छा एवं इनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उभय पक्षों के बयानात सुनने तथा इनके द्वारा दाखिल कागजातों की छायाप्रति का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है होता है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि का दावा किया जा रहा है,जबकि द्वितिय पक्षगण द्वारा हुकमनामा बंदोबस्ती के आधार से प्राप्त है साथ ही साथ प्रश्नगत भूमि पर सार्वजनिक देवस्थल (बारह पुजा) के रूप में उपयोग किया जाता है एवं प्राप्त हुकुमनामा कि तिथि से उनके वंशज शांतिपूर्वक दखलकार होने का दावा करते है। यह मामला दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

18/12/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

18/12/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.12 21:56:18 +05:30
Location: 192.168.100.22